RRs OF Insp (Sr. Lib. Asstt), SI (Lib. Asstt.), HC (Lib clk), CT (Lib Attn) (66)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2011/श्रावण 18, 1933

No. 447] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2011/SRAVANA 18, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उप निरीक्षक (पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती नियम, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक), उप निरीक्षक (पुस्तकालय और सूचना सहायक), हैड कांस्टेबल (पुस्तकालय लिपिक) और कांस्टेबल (पुस्तकालय परिचर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में निरीक्षक (ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक), उप निरीक्षक (पुस्तकालय और सूचना सहायक), हैड कांस्टेबल (पुस्तकालय लिपिक) और कांस्टेबल (पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निरीक्षक (ज्येष्ठ पुस्तकालय और सूचना सहायक)	01* (2011) * $ आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600 रू0	लागू 'Iff होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति . भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त /आमेलन दिया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी – (क)(i) जो सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतनमान 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0 या समतुल्य में पॉच वर्ष नियमित सेवा की है; और ( ) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताऍं और अनुभव है :– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य टिप्पण 1 :–चिकित्सीय प्रवर्ग शेप–1 के अध्यधीन रहते हुए ऐसे उप निरीक्षक (पुस्तकालय और सूचना सहायक) हों जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । टिप्पण 2 :– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 5 :– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन /वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहॉं यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन–किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. दो कमाडेंन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप निरीक्षक (पुस्तकालय और सूचना सहायक)	01* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड– 9300–34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4200 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)	(13)	(14)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए 8; या (ii) जिन्होंने वेतनमान 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2800 रू0 में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने वेतनमान 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0 में दस वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव है – (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य । टिप्पण 1 :–चिकित्सीय प्रवर्ग शेप–1 के अध्यधीन रहते हुए ऐसे विभागीय हैड कांस्टेबल (पुस्तकालय लिपिक) हों जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका/उसकी चयन हो जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । टिप्पण 2 :– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 3 :– प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 4 :– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 5 :– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के लिए) 1 पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. दो कमाडेंन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हैड कांस्टेबल (पुस्तकालय लिपिक)	01* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड–5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	अचयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)	(13)	(14)
वेनतमान 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0 में के ऐसे कांस्टेबल (पुस्तकालय परिचर) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने चिकित्सीय प्रवर्ग शेप–1 के अध्यधीन रहते हुए उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है । **प्रतिनियुक्ति** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :– (क) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ख) जिन्होंने वेतनमान 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति के लिए) 1. पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – अध्यक्ष 2. दो कमाडेंन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.कांस्टेबल (पुस्तकालय परिचर)	02* (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड–1 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके आयु 45 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पण 1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (ना कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचलप्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचलप्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उर्तीण या समतुल्य ।	लागू नहीं होता

990 GI/11-2

(71)

पांगी द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) । टिप्पण 2 रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।		

(10)	(11)	(12)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण :– पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के करण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से भरी जा सकेगी :– (क) जो नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं और अनुभव है ।	सीधी भर्ती द्वारा

(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समुह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल– अध्यक्ष 2. संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. आर. IX-2/2011-मंत्रा./सी.आर.पी.एफ.-कार्मिक-II]

अजय कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2011

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force, Sub-Inspector (Librarian), Recruitment Rules, 2009, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Senior Library and Information Assistant), Sub Inspector (Library and Information Assistant), Head Constable (Library Clerk) and Constable (Library Attendant) in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Central Reserve Police Force, Inspector (Senior Library and Information Assistant),

Sub Inspector (Library and Information Assistant), Head Constable (Library Clerk) and Constable (Library Attendant) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of Posts, Classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.-** The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification. -** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

73

SCHEDULE

Name of the Post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules? 1972.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)
1.Inspector (Senior Library and Information Assistant)	01* (2011) * Subject to variation depend on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial)	Pay Band Rs.9300-34800 and Grade Pay Rs.4600/	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation I absorption, grades from which promotion or deputation I absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)	(14)
By promotion/ deputation	**Promotion/Deputation:** Officers under the Central Government or State Government- (a) (i) holding analogous posts: or (ii) with five years regular service in pay scale of Rs.9300-34890 and Grade pay of Rs.4200 or equivalent. and (b) possessing the following qualifications and experience:- i) Degree from a recognized University or equivalent, ii) Degree in Library Science from a recognized University or Institute or equivalent; **Note** 1.- Sub-Inspector (Library and Information Assistant) with five years regular service in the grade subject to medical category SHAPE-I shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected, his or her appointment shall be treated as having been filled by promotion **Note** 2.- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3.- Period of deputation incfuding the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4. - The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 5. - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended. shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade paylpay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis. the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale. and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade paylpay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion):- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- .Members	Not Applicable.

(75)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)
2. Sub-Inspector (Library and Information Assistant)	1* (2011) * Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted (Ministerial)	Pay Band-Rs. 9300-34800 and Grade Pay Rs.4200/	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Two years	Promotion/ promotion/ deputation	Promotion/Deputation Officers of the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in the pay scale of Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2800; or (iii) with ten years regular service in the pay scale of Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2400 and (b) possessing the following qualifications and experience:- i) Degree from a recognized University or equivalent; ii) Degree in Library Science from a recognized University or Institute or equivalent. Note 1.- The departmental Head Constable (Library Clerk) with ten years regular service in the grade subject to medical category SHAPE-I shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2 - Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department or the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January,2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January.2006 the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale. and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion /confirmation):- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force - Chairman 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- Members	Not Applicable

76

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)
3. Head Constable (Library clerk)	01* (2011) *Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial)	Pay Band-Rs. 5200-20200 and Grade Pay Rs.2400	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable'

(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	Promotion from amongst Constable (Library Attendant) in the pay scale of Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2000 with five years regular service in the grade subject to medical category SHAPE-I. Deputation 1) Officers under the Central Government or State Government- (a) holding analogous posts; or (b) with five years regular service in the pay scale of Rs.5200-20200 and grade pay of Rs.2000.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) :- 1. Deputy Inspector General of Police, Central Reserve Police Force- **Chairman** 2. Two Commandants, Central Reserve Police Force- **Members**	Not Applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Constable (Library Attendant)	02* (2011) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted (Ministerial).	Pay band I Rs.5200-20200 and Grade pay of Rs.2000	Not applicable	Not applicable.	Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note:-1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

(77)

(8)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12th Class pass from a recognized Board or equivalent.	Not applicable.	Two years	By direct recruitment **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from officers of the Central, Government. (a) holding analogous post on regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience for direct recruits under column (8).	not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :- 1. Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force- Chairman 2. Joint Assistant Director or Deputy Commandant Central Reserve Police Force - Member 3. Administrative Officer or Section Officer or Assistant Commandant Central Reserve Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. R. IX-212011-Min./CRPF/Pers-II]

AJAY K. SINGH, Director (Pers.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.